

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

2024/109

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	61/2024	14/3/2024	ANE 27/3/24	21/3/2024

अनवान

श्री विनोद 5/0 मांगीलाल जाति धाकड़ श्री रामलाल 5/0 वीरमा जाति धाकड़

निवासी अगवानपुरा तह. बिजौलिया निवासी अगवानपुरा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुकेश कु. धाकड़

श्री

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)




अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

दिनांक विनोद वनाम शमलाल  
किस्म मुकदमा - 111-128 नम्बर 61 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/3 /2024	<p>प्रार्थना पत्र रीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/3/2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां                 </p>	
21/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक बंदी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. रा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/3/24 को वास्ते <u>नोटिस</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	
27/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध ख-पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में निर्णय पृष्ठ से लिखवाया गया, एवं आदेश/निर्णय खुद न्यायालय में जुगाह गए। पत्रावली फॉरवर्ड शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल होकर दाखिल</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा                 </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 61/24

तारीख दायर 14/3/24

विनोद पुत्र मांगीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र बीरमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र शम्भूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 27/3/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 53 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 53 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सिडर  
उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ

738

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 61/24

प्रेषित :-

तारीख दायर 14/3/24

फैसल - 27/3/24

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 61 ..... / 2024 पत्थरगढी बाबत।

दिनोद पुत्र मांगीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र बीरमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र शंभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम  
भगवानपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या  
40 पर अंकित आराजी संख्या 53 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान  
के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया  
जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत  
करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा  
को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो  
को सुचित करे। पत्थरगढी फीट प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



8  
उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 61/24

तारीख दायर 14/3/24

प्रेषित :-

फैसल - 27/3/24

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 61 ..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

विनोद पुत्र मांगीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र बीरमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र शम्भूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 40 पर अंकित आराजी संख्या 53 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे। पत्थरगढ़ी फीट प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा